41–(08)–16–2017

पटना में दिनांक–07 नवम्बर, 2017 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

1.	वित्तीय वर्ष 2017–18 से स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से सहरसा प्रमंडल के सहरसा, पूर्णियाँ प्रमंडल के पूर्णियाँ एवं मुंगेर प्रमंडल के मुंगेर में एक –एक नये प्राक्–परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन एवं पदों की स्वीकृति, वर्ष 2011–12 में गैर योजना व्यय समिति से संचालन की स्वीकृति प्राप्त प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों यथा, गया, सारण (छपरा), मुजफ्फरपुर एवं भोजपुर (आरा) में पदों की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2009–10 से चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना के परिसर में संचालित Student Guidance Centre प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की स्वीकृति।	1.	**स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

2.	कर्मनाशा नदी पर जैतपुरा पम्प नहर योजना का निर्माण कार्य (प्राक्कलित राशि ₹ 3943.15 लाख (उन्चालिस करोड़ तैतालिस लाख पन्द्रह हजार रूपये)) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	2.	**स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

3.	राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सकों की सेवानिवृति की उम्र सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने के संबंध में।	3.	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

4.	सरकारी सेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में सेवा–निवृत्त पदाधिकारियों को सूचीबद्ध करने हेतु प्रक्रिया एवं सेवा शर्त्त अवधारण के संबंध में।	4.	**स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

5.	बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग नियमावली–2017 की स्वीकृति के संबंध में।	5.	**स्वीकृत।**

वित्त विभाग

6.	विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत मजदूर/नियमित मजदूर के लिए दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मैट्रिक्स के अन्तर्गत नया वेतन स्तर (–1) की अनुमान्यता के संबंध में।	6.	**स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

7. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021–22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत माँग को पूरा करने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत 400 के०भी० के तीन ग्रिड उपकेन्द्र क्रमशः सीतामढ़ी, सहरसा एवं चन्दौती से संबंधित Downlinking संचरण प्रणाली के निर्माण हेतु 1409.36 करोड़ (चौदह सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि का 20% अर्थात 281.87 करोड़ (दो सौ इक्यासी करोड़ सतासी लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप, जिसमें 50.00 (पचास) करोड़ रूपये चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में एवं शेष अगले वित्तीय वर्षों में तथा शेष 80% अर्थात 1127.49 करोड़ (ग्यारह सौ सताईस करोड़ उनचास लाख) रू० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

7. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशान विभाग

8. वर्ष 2018 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोसियेबुल इन्स्ट्रूमेंट्स ऐक्ट के अन्तर्गत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा।

8. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

9. दोनों वितरण कंपनियों यथा–नार्थ/साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली के अंतर्गत 33 के०भी०, 11 के०भी०, निम्न विभव लाईन के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण करने हेतु साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के लिये 1418.08 करोड़ (एक हजार चार सौ अठारह करोड़ आठ लाख) रूपये एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के लिए 1652.14 करोड़ (एक हजार छः सौ बावन करोड़ चौदह लाख) रूपये अर्थात कुल 3070. 22 करोड़ (तीन हजार सत्तर करोड़ बाईस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

9. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

10. बिहार राज्य के अन्तर्गत पटना एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के संचरण प्रणाली का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2353.12 करोड़ (तेईस सौ तिरपन करोड़ बारह लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति तथा इसके कार्यान्वयन हेतु :–

10. **स्वीकृत।**

(क) बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा कार्यान्वित 400 के०भी० जी०आई०एस० सब स्टेशन, बख्तियारपुर एवं संबंधित संचरण लाईन के लिए कुल रू० 664.76 करोड़ (छः सौ चौसठ करोड़ छिहत्तर लाख) की योजना की स्वीकृति एवं कुल स्वीकृत राशि का 20% अर्थात 132.95 करोड़ (एक सौ बत्तीस करोड़ पंचानवे लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप, तथा शेष 80% अर्थात् 531.81 (पाँच सौ इकतीस करोड़ इकासी लाख), करोड़ रू० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति

एवं

(ख) बिहार ग्रिड कम्पनी लि० के द्वारा कार्यान्वित 1688.36 करोड़ (सोलह सौ अठासी करोड़ छत्तीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति तथा इस योजना के लिए बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लि० के हिस्सा पूँजी 10% अर्थात 168.836 करोड़ (एक सौ अरसठ करोड़ तेरासी लाख छः हजार) रूपये की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 में वर्त्तमान में प्रावधानित राशि में से 21. 50 करोड़ (इक्कीस करोड़ पचास लाख) रूपये तथा शेष राशि अगले दो वित्तीय वर्ष में बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

ऊर्जा विभाग

11. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021–22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत माँग को पूरा करने हेतु संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 1097.21 करोड़ (एक हजार सन्तानवे करोड़ इक्कीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं कुल स्वीकृत राशि का 20% की अर्थात 219.44 करोड़ (दो सौ उन्नीस करोड़ चौवालीस लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप, जिसमें 50.00 (पचास) करोड़ रूपये चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में एवं शेष अगले वित्तीय वर्षों में तथा शेष 80% अर्थात 877.77 करोड़ (आठ सौ सतहत्तर करोड़ सत्तहतर लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

11. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

12. बरौनी उर्वरक प्लान्ट के पुनर्वास हेतु हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि० (HFCL) के प्रस्तावित 480 एकड़ भूमि लीज एग्रीमेन्ट 55 वर्षों के लिए हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लि० (HURL) को आन्तरण किए जाने पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क लगभग ₹ 216.00 करोड़ (दो सौ सोलह करोड़ रूपये) की छूट की स्वीकृति के संबंध में।

12. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

13. कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग करने हेतु संविदा नियोजित कृषि समन्वयकों (2745) का मानदेय ₹ 15000/–(पन्द्रह हजार) प्रतिमाह से बढ़ोत्तरी कर दिनांक–01.04.2017 से ₹ 32,000/–(बत्तीस हजार) रूपये स्वीकृति के संबंध में।

13. **स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

14. भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत निरूपण उपभाग के लिए गैर योजना मद में ₹ 34,56,000/–(चौंतीस लाख छप्पन हजार रूपये) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर Design Support Unit के गठन सहित संविदा आधारित आवश्यक पदों अर्थात सहायक अभियंता के कुल 08 (आठ) पदों का सृजन।

14. **स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

15. स्व० जगन्नाथ राम, दैनिक वेतनभोगी कर्मी, पाटलीपुत्र भवन प्रमंडल, पटना को उनकी मृत्यु की तिथि दिनांक–17.08.2012 के प्रभाव से स्वीपर (चतुर्थवर्गीय पद) के रिक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में।

15. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

16. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम०जे०सी० संख्या –485/13 सावित्री देवी एवं अन्य बनाम बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा एवं अन्य में दिनांक–01.09.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालय एम०जे०एम०कॉलेज, कटिहार में वर्ग–III के 04 पद वेतनमान 535–765 एवं 730–1080 में तथा वर्ग IV के 03 पद वेतनमान 350–425 में अर्थात शिक्षकेत्तर कर्मियों के कुल सात अधिसंख्य पदों के सृजन की स्वीकृति दिनांक–31.07.1992/02.08.1992 से किये जाने एवं 31.07.1992 से 05.02.2015 तक बकाये वेतनादि के भुगतान के संबंध में।

16. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

17. इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वास्थ्य विभाग हेतु स्वीकृत उद्व्यय के अन्तर्गत रू० 1,15,00,00,000/–(रूपये एक सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की राशि आंतरिक सामंजन कर बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर उपबंधित कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में। 17. **स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

18. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना में नवसृजित अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान, सृजित एवं संचालित किये जाने के कारण बढ़ते कार्यबोझ के मद्देनजर प्रशाखा पदाधिकारी के 03 (तीन) पद एवं सहायक के 12 (बारह) पद सृजन किये जाने तथा 03 (तीन) उच्च वर्गीय लिपिक एवं 03 (तीन) निम्न वर्गीय लिपिक के स्थान पर डाटा इण्ट्री ऑपरेटर तथा 06 (छः) कार्यालय परिचारी की सेवा आउटसोर्स से प्राप्त करने के संबंध में। 18. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

19. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत समाहितीकरण योजना का विकल्प चयनित करने वाले व्यवसायियों के लिए वर्ष 2017–18 हेतु एकमुश्त वार्षिक कर की राशि को आनुपातिक रूप से कम करने के संबंध में। 19. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

20. बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 में संशोधन करने के संबंध में। 20. **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

21. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में सहायक अनुदान के रूप में राज्यांश मद में उपबंधित अवशेष राशि कुल 33400.00 लाख (तीन अरब चौंतीस करोड़) रूपये के एक मुश्त अग्रिम निकासी के संबंध में। 21. **स्वीकृत।**

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

22. नालंदा जिलान्तर्गत बिहार पुलिस एकेडमी, राजगीर के अवशेष निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 290,07,41,119 (दो सौ नब्बे करोड़ सात लाख एकतालीस हजार एक सौ उन्नीस रू०) मात्र की चालू स्कीम की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय राज्य योजना मद से चालू एवं अनुवर्ती वर्षों में करने के संबंध में।

22. **स्वीकृत।**